Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to regularize the services of Aanganwadi Sevika and Sahayika and also increase their honorarium till their services are regularized

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) ः भारत सरकार के द्वारा समेकित बाल विकास सेवा को 1975 में एक परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देशभर में 0 से 6 वऐाऩ तक के बच्चों को पोऐाहार, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के लिए पोऐाण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ छोटे बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सुविधायें एकीकृत रूप से पहुंचाना है। समय बीतने के साथ इस उद्देश्य की पूर्णतः पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिया गया, लेकिन आज अधिकतर आंगनबाड़ी की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि इसका मुख्य उद्देश्य कहीं गुम हो गया है। इसका मुख्य कारण आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए वर्तमान जनसंख्या के मापदण्ड में संशोधन जरूरी है एवं संशोधित मापदण्ड यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे की केद्र तक सहज पहुंच हो। आंगनबाड़ी के भौतिक ढाँचे को सुधारना जरूरी है। प्रत्येक केद्र का पक्का भवन हो, आकऐाऩक साज-सज्जा हो और पर्याप्त जगह हो। इसमें भण्डारण, पेयजल, पकाने के बर्तन, खिलौने और बाल उपयोगी शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं हों। प्रत्येक केंद्र पर 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायिका हो। एक कार्यकर्ता 3 वऐाऩ से कम उम्र के बच्चों की देख-रेख के लिए जिम्मेदार हो तथा दूसरी कार्यकर्ता केद्र प्रबंधन और स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्यायें विशेऐा रूप से अत्यधिक कार्य-बोझ, कम मानदेय, अनुपयुक्त कार्य माहौल आदि को सुलझाने पर जोर दिया जाए।

अतः मैं सरकार से माँग करती हूँ कि भारत सरकार के द्वारा समेकित बाल विकास सेवा के मूल उद्देश्य की पूर्णरूपेण प्राप्ति हेतु आंगनबाड़ी केद्र पर सेवा करने वाली सेविका एवं सहायिका की सेवा को नियमित किया जाए एवं जब तक सेवा नियमित नहीं हो जाती, तब तक इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा मानदेय दिए जाने की व्यवस्था की जाए,जो सेविका के लिए 17000 एवं सहायिका के लिए 15000 हो।